न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

क्रमांक :– कोर्ट / ए.डी.एम.प्रथम / प्र.अ. / सू.का.अ. / 2021 / 333 दिनांक :– 21/5/21

अपील संख्या 12 / 37 / 2021
कम्प्यूटर आई.डी. 2021 / 55

प्रवेश तिथि : 28.04.2021 निर्णय दिनांक: 26.05.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अमरचन्द मीना, निवासी–9 / 743, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली–110003		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपरोक्त अपील में पारित निर्णय की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 37 / 2021
कम्प्यूटर आई.डी. 2021 / 55

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अमरचन्द मीना, निवासी–9 / 743, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली–110003		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि 28.04.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26.05.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 08.03.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के न्यायालय प्रकरण संख्या 1 / 192 दिनांकः 22.10.1999 ब.उ. कृपाल बनाम रामसुखा के संबंध में 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को RTI आवेदन दिनांकः 08.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा किए गए विनिश्चय पत्र सं0 1806 दिनांकः 07.04.21 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय को प्रेषित की है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः आर.टी.आई. / 2021 / 2602–03 दिनांकः 25.03.2021 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा विनिश्चय–पत्र सं0 1806 दिनांकः 07.04.21 के माध्यम से अपीलार्थी को RTI आवेदन दिनांकः 08.03.2021 में वांछित सूचना संबंधी पत्रावली उनके यहाँ उपलब्ध ना होकर जमा जिला लेख भण्डार, कलक्ट्रेट, अलवर कराया जाना सूचित किया है।
10. अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अपील अंतर्गत आक्षेप व्यक्त किया है कि प्रत्यर्थी / लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ द्वारा उनके RTI आवेदन दिनांकः 08.03.2021 को जिला कलक्टर, अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के प्रकाश में अधिकतम 05 दिवस में क्यों अन्तरित नहीं किया गया! प्रमाणित फोटो प्रति

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

11. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) उप धारा (i) व (ii) अन्तर्गत वर्णित है कि "उक्त उपधाराओं के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पाँच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"

12. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधान का ध्यान नहीं रखा जाकर विधिक त्रुटि की है किन्तु RTI आवेदन दिनांकः 08.03.2021 (प्रत्यर्थी के कार्यालय को प्राप्ति दिनांकः 10.03.2021) के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में पत्र सं. 1806 दिनांकः 07.04.21 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचना संधारितकर्ता विभाग के संबंध में विशिष्टी वर्णित करते हुए संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्ति हेतु सूचित किया जा चुका है। साथ ही फोटोप्रति शुल्क हेतु प्रस्तुत आई.पी.ओ. सं. 47F 389132 रू. 10/- व 47F 389133 रू. 10/- उक्त सूचना के साथ वापस भेजे जा चुके हैं।

13. उक्त आलोक में प्रथम अपील खारिज की जाती है किन्तु लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के आवेदनों को आवेदन प्राप्त होते ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत यथासाध्य अधिकतम 05 दिवस में संबंधित विभाग को अन्तरित किए जाने की कार्यवाही निष्पादित करें। अपीलार्थी जिला कलक्टर, अलवर कार्यालय को हस्तगत सूचना प्राप्ति हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत करे।

14. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

15. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

प्रमाणित फोटो प्रति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज०)